

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी
पीठासीन अधिकारी-श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 101/2022

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

| | |
|---|--|
| हमीद पुत्र मोमदा जाति मुसलमान निवासी काठानाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा | 1.अली पुत्र हेमा 2.जुसब पुत्र हेमा 3.नजीर पुत्र हेमा 4.फरीद पुत्र हेमा 5.इकबाल खान पुत्र हिन्दालखान 6.ईदा पुत्री हिन्दालखान 7.दावतखान पुत्र हिन्दालखान 8.नवाबखान पुत्र हिन्दालखान 9.निहाली पुत्री हिन्दालखान 10.मेहबूबखान पुत्र हिन्दालखान 11.रजाकखान पुत्र हिन्दालखान 12.लती पत्नि हिन्दालखान 13.शरीफखान पुत्र हिन्दालखान 14.अमीना पुत्री हिन्दालखान 15.गुलामखां पुत्र इसुखां 16.मुसेखां पुत्र इसुखां 17.सुहानी पत्नि इसुखां 18.गुलामखां पुत्र सुमारखां 19.जमालखां पुत्र सुमारखां 20.फरीदखां पुत्र सुमारखां 21.चन्दण पुत्र मोमदा जातियान मुसलमान निवासी काठानाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 22.शाखा प्रबन्धक जी.बा. सै. कॉ बैंक लि. शाखा सिणधरी 23.तहसीलदार सिणधरी |
|---|--|

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1.श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
- 2.श्री पाबूराम बेनिवाल अधिवक्ता प्रतवादी सं. 5 से 14 व 21 की ओर से उपस्थित।
- 3.प्रतिवादी सं. 23 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।


सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

निर्णय

दिनांक- 28.01.2026

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की विधिवत सुनवाई बाद तहसील सिणधरी जिला बालोतरा पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम काठानाडा के खसरा संख्या 579 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै. मु. ढाणी तथा खसरा संख्या 580 रकबा 21.0502 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम कुल रकबा 21.0583 हैक्टेयर की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 20.11.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश दिनांक 20.11.2025 की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 में प्रदत्त प्रावधानानुसार तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।


लिहाजा मुताबिक प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम काठानाडा के खसरा संख्या 579 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै. मु. ढाणी तथा खसरा संख्या 580 रकबा 21.0502 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम कुल रकबा 21.0583 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

| कं. सं. | नाम खातेदार | ग्राम | खसरा I नं. | रकबा हैक्टेयर | किस्म | बरंग |
|---------|---|----------|---------------|------------------|--------------|-------|
| 1 | हमीद पुत्र मोमदा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार। | काठानाडा | 579 | 0.0081 | गै. मु. ढाणी | बैगनी |
| | | | 580 | 3.4841 | बा. दोयम | |
| | | | योग | 3.4922 | | |
| 2 | चन्दण पुत्र मोमदा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार। | काठानाडा | 580 | 2.8315 | बा. दोयम | लाल |
| | | | 580 | 0.6607 | बा. दोयम | |
| | | | योग | 3.4922 | | |
| 3 | इकबाल खान 1/10 दाबतखान 1/10 नवाब खान 1/10 मेहबूबखान 1/10 रजाकखान 1/10 शरीफखान 1/10 पुत्र हिन्दालखान अमीना 1/10 ईदा 1/10 निहाली 1/10 पुत्रीयां हिन्दालखान लती पत्नि हिन्दालखान 1/10 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन:- दी सैन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सिणधरी | काठानाडा | 580 | 0.1860 | बा.सोयम | हरा |
| | | | 580 | 3.3062 | बा.सोयम | |
| | | | योग | 3.4922 | | |


 सहायक कलक्टर
 SDO सिणधरी


| | | | | | | |
|---|---|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 4 | अली 1/12 जुसब 1/12 नजीर 1/12 फरीद 1/12 पुत्र हेमा, जमालखां 1/9 फरीद 1/9, गुलामखां 1/9 पुत्र सुमारखां, गुलामखां 1/9 मुसेखां 1/9 पुत्र इसुखां सुहानी पत्नि इसुखां 1/9 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार। रहन:- मुसेखा का हिस्सा SBI शाखा भूकां भगतसिंह | काठानाडा | 580 | 10.4766 | बा. सोयम | आसमानी |
| 5 | राजस्थान सरकार | काठानाडा | 580 | 0.1051 | गै. मु. रास्ता | काला |

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी